

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(जन-सम्पर्क अनुभाग)  
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत एमनेस्टी सहित तीन योजनाओं की अवधि दो माह बढ़ी योजनाओं का लाभ अब 30 जून, 2018 तक

जयपुर, 28 अप्रैल। जयपुर डिस्काम ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को 30 जून, 2018 तक बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पूर्व में योजनाएं 30 अप्रैल, 2018 तक ही प्रभावी थी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान देखते हुए एमनेस्टी योजना, स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

विद्युत एमनेस्टी योजना- योजना के तहत अघरेलू औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू कृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित/कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। बिजली की बकाया राशि एकमुष्ट जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में षत-प्रतिशत छूट देय होगी। उपभोक्ता अपने कटे हुए कनेक्शन को नियमानुसार जुड़वा भी सकते हैं।

लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना- वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर, 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून, 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का 30 जून, 2018 तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है।

स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना - निरन्तर विद्युत आपूर्ति, गुणवत्ता में वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू योजना की अवधि को दो माह बढ़ाया गया है। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों को बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते हैं और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढे हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितकरण शुल्क भी जमा कराना होगा।

श्री आर.जी.गुप्ता ने आशा व्यक्त की है कि योजनाओं की बढ़ाई गई अवधि का अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता लाभ उठाएंगे।

-----  
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 745/2018

---